

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद,
अनुसंधान भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली- 110001

संख्या: 6-1(1)/82-ई-III


दिनांक: 04.10.2019

कार्यालय ज्ञापन

विषय: कार्यालय में रामय की पाबंदी बनाए रखने के संबंध में

इस कार्यालय के सम्संख्यांक दिनांक 08.07.2019 के कार्यालय ज्ञापन के सिलसिले में यह पाया गया है कि मुख्यालय तथा उसकी इकाइयों के स्टाफ सदस्य इस आदेश का अनुपालन नहीं कर रहे हैं।

महानिदेशक महोदय ने इस विषय को अति गंभीरता से लिया है। मुख्यालय के सभी सदस्यों को यह पुनः सूचित किया जाता है कि पांच दिवसीय सप्ताह में 40 घंटे का कार्य करना अनिवार्य है। सभी से अनुरोध है कि कार्यालय में समय की पाबंदी बनाये रखे। मुख्यालय के प्रत्येक स्टाफ सदस्य के बायोमेट्रिक रिकॉर्ड (Biometric Record) द्वारा इस विषय की पुष्टि की जायेगी तथा कार्य के घंटों में कमी पाए जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।


(बी. के. सिंह)
उप सचिव

प्रति:

1. सीएसआईआर मुख्यालय/एमबीएसए/एमबीजीएच/साइंस सेंटर/आईपीयू/ टीकेडेएल इकाई/एचआरडीजी/ सीएसआईआर काम्प्लेक्स/ एचआरडीसी, गाज़ियाबाद के सभी प्रभागध्यक्ष/अनुभागध्यक्ष- इस कार्यालय ज्ञापन की विषय वस्तु को स्टाफ सदस्यों के संज्ञान में लाने और इसे किर्यान्वित किये जाने के अनुदेश सहित
2. महानिदेशक, सीएसआईआर के कार्यालय में अवर सचिव
3. संयुक्त सचिव (प्र.) सीएसआईआर के निजी सचिव
4. वित्त सलाहकार, सीएसआईआर के निजी सचिव
5. मुख्य सतर्कता अधिकारी, सीएसआईआर के निजी सचिव
6. विधि सलाहकार, सीएसआईआर के निजी सचिव
7. वरिष्ठ उप सचिव (एचआर) के निजी सचिव
8. वित्त एवं लेखाधिकारी (रोकड़)
9. वित्त एवं लेखाधिकारी (लेखा परीक्षा)
10. प्रमुख, सूचना प्रौद्योगिकी- इस कार्यालय ज्ञापन को सीएसआईआर की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने के अनुरोध सहित
11. उप सचिव (के. का.) की निजी सचिव
12. सभी सूचना पट
13. कार्यालय प्रति

कृपया 04.10 के अनुरूप उचित कार्यवाही करें।
विनय कुमार (आ) 09/10/2019
श्रीमती डॉ. ली. री. चर्च, वरिष्ठ प्रधानमंत्री